तारीख हुक्म	राजस्व अपील संख्या 45/2021 पदमा वगैरा बनाम अमरीया वगैरा हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

20/12/2021

अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। हस्तगत प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट अधिवक्ता द्वारा उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अन्तरिम आदेश दिनांक 20.07.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। हस्तगत प्रकरण मे हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 27.07.2021 से निरन्तर अंतिम आदेशिका तक अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब किये जाने का आदेश पारित किया गया। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील अन्तरिम आदेश दिनांक 20.07.2021 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है। उक्त आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.07.2021 को अंतरिम आदेश पारित किया गया है। प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी से संबधित मूल निर्णय अधीनस्थ न्याायलय के समक्ष विचाराधीन/लंबित मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत निर्णीत होगा। ऐसी परिस्थितियो मे न्यायहित को मद्नेजर रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब किया जाकर प्रकरण को लंबा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। उभयपक्ष अधिवक्ताओ द्वारा न्यायालय के इस मत पर अपनी सहमति जाहिर की गई।

प्रकरण मे उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मे वर्णित तथ्यो पर बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण मे वादग्रस्त आराजी के संबध मे प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। खसरा नंबर 68 व 69 कुल रकबा 0.11 हैक्टेर गैर मुमकिन रास्ता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश की आड मे रेस्पोडेन्टगण अपीलांट की खातेदारी भूमि मे आवागमन रास्ते पर पक्का निर्माण कर मौके पर रास्ता बंद करने हेतु आमादा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किये बिना जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने अपील मे वर्णित तथ्यो का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे समस्त बिन्दुओ को ध्यान मे रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सालीव

हस्तगत प्रकरण मे वादग्रस्त आराजी के संबध मे प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है।

हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील अन्तरिम व्यादेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित करने के सम्बन्ध में जो प्रावधान दिए गए है, उनमे मुख्य रूप से आदेश 39 नियम 1 से 4 मुख्य है, जहां तक आदेश 39 नियम 3 सीपीसी का प्रश्न है, इस संबंध में आदेश 39 नियम 3 सी पी सी का उद्धरण इस प्रकार है–

आदेश 39 नियम 3

3. *Before granting injuction, Court to direct notice to opposite party-*

The Court shall in all cases except where it appears that the object of granting the injunction would be defeated by the delay, before granting an injunction direct notice of the application

for the same to given to be the opposite party

Provided that, where it is proposed to grant an injunction without giving notice of the application to the opposite party, the court shall record the reasons for its opinion that the object of granting the injunction would be defeated by dealy, and require the applicant-

(A) to deliver to the opposite party, or to send to him by registered post, immediately after the order granting the injunction has been made, a copy of the application for injunction together with-

1. *a copy of the affidavit filed in support of the application.*
2. *a copy of the plaint and*
3. *copies of doucments on which the applicant relies, and*

(b) to file, on the day on which such in such injunction is granted or on the day immediately following that day, and affidavit stating that the copies aforesaid have been so delivered sent.

आदेश 39 नियम 3(क) सी.पी.सी में प्रावधित किया है कि " 3-A Court to disposed application for injunction within thirty days-- Where an injunction has been granted without giving notice to the opposite party, the court shall make an endeavour to the

राजस्व अपील प्राधिकारी
कैम्प-जालोर

finally dispose of the application within thirty days from the date on which injuntion was granted; and where it is unable so to do, it shall record the reason its reasons for such inability" इस प्रकार यह स्पष्ट है कि, जहॉ अस्थाई निषेधाज्ञा विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना जारी की गई तो न्यायालय द्वारा 30 दिन के भीतर निपटारा किया जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, यदि ऐसा करने में असमर्थ है, तो असमर्थता के कारणो को अभिलेखित करना चाहिए।

उपरोक्त कानून के सन्दर्भ में हस्तगत प्रकरण का परीक्षण करने पर यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील व्यादेश एकपक्षीय अंतरिम व्यादेश है। विधि अनुसार जहां एकपक्षीय रूप से अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किया जाता है, ऐसे मामलो को न्यायालय द्वारा 30 दिवस के भीतर निपटारा किया जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, यदि ऐसा करने में असमर्थ है, तो असमर्थता के कारणो को अभिलेखित करना चाहिए।

अपीलांट अधिवक्ता द्वारा उक्त अपील जैर अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है प्रकरण से संबधित मूल आदेश अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के मे निर्णीत होगा। ऐसी स्थिति मे वादग्रस्त आराजी के संबध मे प्रकरण के इस स्तर पर किसी प्रकार का तर्क दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मूल प्रार्थना पत्र का लगभग 02 वर्षो से अंतिम निस्तारण नहीं किये जाने से हितबद्ध पक्षकारो को कई प्रकार की परेशानियो का सामना करना पड रहा है एवं प्रार्थना पत्र लंबित होने से पक्षकारो को न्याय प्राप्त होने मे अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। जो कि न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है। प्रकरण मे किसी भी पक्ष की ओर से हाजा न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश के संबध मे माननीय राजस्व मंडल द्वारा पारित किसी भी आदेश की प्रति आदिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। सहायक कलक्टर सायला द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 49/2021 मे पारित आदेश दिनांक 20.07.2021को अपास्त किया जाता है। चूंकि प्रकरण में निहित कानूनी बिन्दुओ की पालना करवाई जानी आवश्यक है, तद्नुसार सहायक कलक्टर सायला को निर्देशित किया जाता है कि आपके न्यायालय मे प्रकरण से संबधित विचाराधीन राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 49/2021 के अन्तर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 39 नियम 3(क) के प्रावधानो की पालना करते हुए उभयपक्षो को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए 30 दिवस के भीतर विधिसम्मत आदेश पारित करे। उक्त आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील अधिकारी
पाली कैम्प-जालोर